THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Do you want to make both the statements together?

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Yes, Sir.

II. Procurement price for Paddy and coarse kharif cereals and minimum support price of cotton (Kapas) for 1982-83 Marketing season

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Sir, I would like to make a statement. The procurement price of common variety of paddy has been fixed at Rs. 122 per quintal and of coarse khariff cereals viz., Jowar, bajra, maize and ragi at Rs. 118 per quintal for 1982-83 marketing season. Consequent on the increase in the procurement price of paddy, it has also been decided *to* raise the issue prices of all varieties of rice by Rs. 13 per quintal over the present levels with immediate effect.

In regard to cotton the Government has decided to fix the minimum support price of kapas of fair average quality of J-34 variety at Rs. 380 per quintal for 1982-83 season. The corresponding prices of other varieties would as usual be fixed by the Textile Commissioner.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Sir, no copy of the statement has been given to us. *{Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): He has read it, and you are supposed to have heard it.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Why have we not been given a copy?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Perhaps, because of the urgency he has read the statement. It is a short statement. In case any part of it you have not understood, you can ask him to re-read it.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : मेरा पोइण्ट आफ आर्डर है । उपसभाध्यक्ष महोदय, सारे देश में अकाल का हल्ला है, चारों तरफ अकाल की नौबत है । ड्राउट पर मंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं । तो यह लिस्ट पर क्यों नहीं लाया गया ताकि हम लोग तैयार हो कर आते ? आखिरी वक्त में इस का रश-थ्रू कर रहे हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): This has already been circulated in the Supplementary List of Business where it has been mentioned. Your point of order does not survive.

श्री हुक्म देव नारायण यादव (बिहार): मेरा एक पोइण्ट आफ आर्डर है ।

उपसभाध्यक्ष, (डा० रफीक जकरिया) : एक पोइण्ट आफ आर्डर को तो खत्म होने दीजिए । सप्लीमेंटरी लिस्ट आफ बिजनेस में इस का मेंशन किया गया है ।

Now, as I have said, I have received so many names from the hon. Members who want to seek clarifications from the Minister on the statement that he has made. Now, I am afraid, we have to be fair and equitable to all sections of the House and, therefore, those who have sought clarifications earlier from the Irri gation Minister, I will not call upon them...........*(Interruptions)* ....

श्री हुक्म देव नारायण यादव: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि कृषि मंत्री जी सूखा के सम्बन्ध में बयान दे रहे थे । सूखा अलग विषय है उसके साथ-साथ फसलों की कीमत के विषय में बताना कहां तक ठीक है, इन दोनों का क्या सम्बन्ध है ? इस को मिला दिया ।

उपसभाध्यक्ष, (डा० रफीक जकरिया): यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

I am sorry, some regulation is inevitable and therefore those Members who have already sought clarifications on one

subject, 1 will not call them again to seek clarifications because there are several Members on this statement who are seeking clarifications. Yes, Mr. Krishna Mohan.

श्री शिव चन्द्र झा : वह तो सूखे के बारे में था। (व्यवधान)।

श्री हुक्म देव नारायण यादव : आज से सदन का ... (व्यवधान) यह नहीं चलेगा। आज से नियम हो जाये कि एक आदमी दिन में दो बार नहीं बोलेगा।

श्री उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरिया): हर मैम्बर को क्लैरिफिकेशन की अगर इजाजत दी जाए तो बिजिनेस खत्म हो नहीं सकता।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : बिजिनैस तो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, वह तो चलता रहना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : चाहे बिल का डिस्कसन हो या कोई, हर चीज के ऊपर मर्यादा रखी जाती है। यहां ऐसी बात नहीं है कि हर मेम्बर को हर बिल के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर, हर स्टेटमेंट पर बोलने की इजाजत दी जाए... (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल नियमों के खिलाफ बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : कोई नियम के खिलाफ नहीं कह रहा हूं।

श्री हुक्म देव नारायण यादव : किस रूल में है ऐसा? ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) रूल यह है कि हाउस को रेगुलेट करना है। ... (व्यवधान)

J am sorry 1 am not going to allow. If all the Members who have sought clarification have still some points, I will see if they could be called. But the first preference will be given to those Members who have not spoken.

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, एक मिनट मेरी बात सुन लें।

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (RAO BIRENDRA SINGH): They should seek clarifications and not make speeches.

श्री रामेश्वर सिंह : आपने जो व्यवस्था दी उस पर सुनिए, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I won't hear you. *(Interruptions)* I am sorry, I will not allow any further discussion. Shri Krishna Mohan. (*Interruptions).*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आपके इस नियम के खिलाफ मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(At this stage the hon. Member left the Chamber).

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया): नियमों के अनुसार मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर कोई क्लैरिफिकेशन पूछा ही नहीं जा सकता।

श्री शिव चन्द्र झा : आप नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं।... (व्यवधान)।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): No clarification can be as ked. And, therefore, this is the indulgence by the Chair that some clarifications are being allowed, but surely there must be some regulation. Some Members want to monopolize all the time. How can that be accepted? *(Interruptions).* You are

[Dr. Rafiq Zakaria] talking of rules. Please read the rules carefully. According to the rules, no clarification can be asked. *(.Interruptions)* Please sit down. "A statement can be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Chairman, but no question shall be asked at the time the statement is made." The rule is quite clear. But this has been the tradition in this House that whenever statement of some urgent public importance is made, the Chair does allow a few questions in the form of clarification to be replied by the Minister. But surely on the basis of that I cannot be pressurised that every Member, and especially those who have spoken, can go on asking clarifications. The business of the House has also got to be regulated; and 1 seek the co-operation of all sections of the House in going through the business. After all, the Business Advisory Committee also follows certain norms in this matter. I am applying the same norms. And what did I say? That in order to be fair and equitable to all sections of the House, those who have already had the opportunity of seeking clarification from the Minister on an earlier subject will not be allowed, because the time is not there, and that too because at least a dozen Members have sent their names for asking clarification on this statement. In view of this situation, I am sure, the House will appreciate that some kind of regulation is necessary. If Mr. Jha wants to speak on every subject, I am afraid, the time of tha House is limited. Mr. Krishna Mohan please.

SHRI G. C. BHATTACHARYA (Uttar Pradesh): What is the bar if a Member wants to speak on every subject?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): The bar is, the rules 3ay, no questions can be asked. If you want, me to strictly follow the rules, then, I will not allow any questions. Do you want me to do that?

SHRI G. C. BHATTACHARYA: This is unfair. There is no bar.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): If it is not fair to you, it is unfair. It has to be fair to you to be fair to everybody.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: You cannot say that a Member cannot speak on every subject.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I have explained, Mr. Bhattacharya, and if you still do not understand, I would like to quote Ghalib. He has said :

"या रब वह न समझे हैं, न समझेंगे मेरी बात,
दे उनको समझ और जो न दे मुझे को जुबां
और।"

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : समझदारी और ठेकेदारी किसी की बात नहीं है। मानापली और समझदारी किसी की बात नहीं है। अगर कोई समझे तो उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया): मैंने खाली गालिब को कोट किया और उस पर आप इतना नाराज हो गये।

SHRI KRISHNA MOHAN BHAMIDIPATI (Andhra Pradesh): Sir, in Andhra Pradesh, nearly five lakh small farmers, six lakh marginal farmers and about twenty lakh agricultural labourers have been affected by the drought situation. According to the State Government statistics, the loss of yield of crop is about 54 lakh tonnes and the estimated loss in terms of rupees is about Rs. 600 crores. The State Government has submitted proposals to the Government of India for a special assistance of nearly Rs. 200 crores to meet the drought situation in the State. I request the hon. Minister to give an assurance on the floor of the House that Andhra Pradesh will be given all possible assistance including the Rs. 200 crores sought by the State Government to face the challenge of draught in the State.

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, as has already been stated by my colleague, a Central team will be visiting Andhra Pradesh. We have received' some informa-

tion from the State and after assessing thi situation, we shall see what relief can be granted for the State Govei nment

SHRl SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Mr. Vice-Chairman, Sir, the statement which has been made is very vague in many important aspects.

RAO BIRENDRA SINGH: Very detai-led.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: But it is very vague in many important aspects. They have givea st-uic Rgures about giving relief in i'j;ard to the flood situation. But the statement does not mention what financial asistance has been given to the States. It only says so much foodgrains, jawar and other things have been supplied. I am icsV-tng my-self to Maharashtra. The Ji."ation in Maharashtra is very grave. ten districts, but seventeen districts have been affected by drought. A large number of cattle have been affected. The unanimous demand has been that these areas should be declared as famine-affected and the Famine Manual should apply. I would like to know from the hon. Minister, when did he get the report from the Maharashtra Government about the drought situation, what has been the demand for financial assistance and what financial assistance has been given? Secondly, there has also been a demand that the Employment Guarantee Scheme should be extended to the drought-affected areas so that the people will be able to get some jobs as well as relief. May I know from the hon. Minister whether any food-for-work programme has been asked for by the Maharashtra Government and whether additional foodgrains will be supplied to them so that they can get not only jobs, but they will also be able to get some foodgrains as part of their wages? I would like to know, what is the demand made by the Maharashtra Government? A statement has been made in the Bombay Press that Rs. 130 crores is the amount required. May I know from the hon. Minister whether they have given a single pie up till now by way of assistance to the Maharashtra Government? lt is no use sending teams.

RAO BIRENDRA SINGH : A Central team is visiting Maharashtra and it is in Maharashtra today. The situation is being assessed in regard to the National Rural Employment programme which is being implemented by the Maharashtra Government as the Employment Guarantee Scheme, We have a formula for giving money as well as foodgrains, for employment in the rural areas and there is no special programme now sanctioned by the Government for drought-affected areas particularly. But it is up to the State Government to utilise the funds and foodgrains in specific areas where the need is greater, where the areas are drought-affected. The real situation and the quantum of relief to be granted will be assessed after the report of the Central team, is received,

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: What is the demand by Maharashtra Government? What is the assistance they want? And what assistance have you given so far? The drought conditions are prevailing there for the last three months.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: The Central team is there.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: I am asking what their demand is.

RAO BIRENDRA SINGH: I am not going into the question of demand at present the demands from the States, in my view, are generally exaggerated. Unless we have a full report from the Central team I am not going to say anything at this stage.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Shri J. K. Jain.

श्री जे० के० जैन (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, मैं इस पर नहीं, फूड कारपोरेशन पर बोलना चाहता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Shri Satya Pai Malik.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Would you allow me? I want to ask. , .

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I am sorry, I will not allow you. One Member from one party. *(.Interruptions)*. Mr. Dhabe has spoken on

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: This is not a party matter.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): There are so many Members to Speak. I am sorry. *(Interruptions)* ■

I am sorry, Mr. Kulkarni, I am not going to listen to anything. Yes, Mr. Satya Pal Malik.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): This browbeating of the Chair must also stop. *(Interruptions)*-This browbeating by some Members all the time must also stop.

श्री रामेश्वर सिंह : यह आप गलत काम कर रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकारिया): मैं जो कर रहा हूं अपनी समझ से ठीक कर रहा हूं । इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछने की इजाजत ही नहीं है । मैं पार्टीवाइज जा रहा हूं । इस पर हर एक को बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है ।

श्री रामेश्वर सिंह: आप मत दीजिए... (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : मैं यह कहना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : यह आपका हाउस चलाने का तरीका ठीक नहीं है .. (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : आप बोलने क्यों नहीं देते हैं ... (व्यवधान) । मैं इसके खिलाफ वाक-आउट करता हूं ।

(At this stage hon. Memebsr left..the Chamber).

....

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : आप मंत्री महोदय से पूछिये कि क्या हमने कोई गलत सवाल पूछा है। सारे देश में सूखा पड़ा हुआ है, बाढ़ आई हुई है, आप बोलने नहीं दे रहे हैं**

**Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Mr. Satya Pal Malik, *(Interruptions).* Please don't take it down

श्री रामेश्वर सिंह :**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Mr Satya Pai Malik, *(Interruptions).* Mr. Satya Pal Malik, I will call another Member if you do not speak. *(Interruptions).* No, Mr. Minister, please do not respond. Yes, Mr. Satya Pal Malik.

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, माननीय सिंचाई मंत्री और कृषि मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसके बाद यह बात बिलकुल साफ हो जाती है कि देश के अधिकांश भागों में या तो बाढ़ थी या वे सूखे से ग्रस्त हैं । सामान्य तौर पर पूरे देश की स्थिति बाढ़ और सूखे से ग्रस्त है । इसलिए मैं इसको दोहराना चाहता हूं कि आप इस विषय पर व्यापक बहस की इजाजत दें । मैं यह कहना चाहता हू कि हमारे देश में बाढ़ और सूखा, दोनों हर साल आते हैं और हर साल यह हमारा रवैया हो गया है कि हम इनकी जिम्मेवारी वर्षा पर डाल देते हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इन आपत्तियों को रोकना आदमी के कब्जे में और सरकार के कब्जे में है । अगर इसके लिए प्रयत्न किया जाये तो इन चीजों को रोका जा सकता है । मिसाल के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें काफी मिट्टी आती है और हिमालय की उम्र कम होने के कारण मिट्टी आने से इन नदियों में रेत भर गई है, सिल्टिंग हो गया है । उसको हटाने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए इंतजाम क्यों नहीं किया गया ? आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा के एक चीफ इंजीनियर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि हम सूखे को पहले से ही मोनीटर कर सकते हैं। दो तीन महीने

पहले इसका पता लगाया जा सकता है कि इस साल वर्षा कहां कहां नहीं होने वाली है। लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरी यह शिकायत है कि बाढ़ और सूखे के लिए हमारे देश में कोई लौंग टर्म योजना नहीं बनाई गई, कोई इंतजाम नहीं किया गया। मुल्क के लोगों के लिए यह रिचुअल बन गया है कि हर साल सूखा पड़ता है, या बाढ़ आती है। हम सवाल कर लेते हैं और जो कोरे इन्तजाम हैं वह वे बता लेते हैं। एक लौंग टर्म प्लानिंग इन चीजों की तरफ नहीं है। जितने भी मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वे अधूरे पड़े हैं या बहुत कम रफ्तार से चल रहे हैं। उनके खर्चे का जो शुरू में अनुमान लगाया गया था वह खर्चे बराबर बढ़ते जा रहे हैं और कुछ साल बाद उन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पायेंगे। आजादी के बाद आज तक कुल सिंचाई के रकबे में सिर्फ 22 प्रतिशत का इजाफ़ा हुआ है। आप एशियाड कर रहे हैं और खुश हैं लेकिन आप राजस्थान नहर को पूरा नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में चौथा साल है सूखे का। राजस्थान का किसान सदियों से तीन साल की प्लानिंग करता है, चौथा साल उसके लिए कहर होता है। आज उसके पास न मवेशियों के लिए चारा है और न पीने के लिए पानी है। लेकिन आप तमाशा कर रहे हैं दिल्ली में। आपकी राजस्थान नहर पड़ी हुई है। आज तमाम पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहां भी नार्मल बारिश नहीं हुई और फसलें लगातार सूख रही हैं। इस बीच में आपकी राज्य सरकारों ने बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर दी है, किरायों में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं और सरकारी जो वसूलियां हैं वे बदस्तूर कायम हैं। बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। हरियाणा के बारे में मुझे जानकारी है कि वहां चार-चार, पांच-पांच घण्टे भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस गम्भीर स्थिति में लौंग टर्म प्लानिंग आपके पास क्या है जो आप बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए करना चाहते हैं? दूसरा, जो सिंचाई की परियोजनायें सारे देश में पड़ी हुई हैं उनके बारे में आपका रुख क्या है? तीसरा, मान्यवर, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिन इलाकों में आपने माना है कि वहां सूखे की स्थिति है तो जो सूखे का कानून है वह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। वह कानून इतना सख्त है कि सूखाग्रस्त इलाके को उससे राहत मिलना असम्भव है। जब वह इलाका पूरी तरह बरबाद हो जाता है, जब किसी किस्म की चीज उसमें नहीं बच रहती है सिर्फ उसी सूरत में सूखाग्रस्त घोषित कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि राहत की कोई चीज सूखाग्रस्त इलाकों को नहीं मिल पाती। तो मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि जो सूखे का कानून है अंग्रेजों के जमाने का उसको बदलिये और जिन इलाकों में सूखा है वहां जो तकावी, मालगुजारी और इसी तरह के जो सरकारी ड्यूज हैं उनको माफ करिये और स्थगित करिये, इतना कह अपनी बात को समाप्त करता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : जनाब, इरीगेशन के बारे में तो काफी पहले चर्चा हो चुकी है और फ्लड के बारे में भी। वैसे मैं इतना जरूर अर्ज करना चाहूगा कि जिस तेजी से आबपाशी इस देश में बढ़ी है उस तेजी से आबपाशी दुनिया के किसी भी देश में नहीं बढ़ी। तो यह कहना बिलकुल गलत है कि हमारा ध्यान सरकार का ध्यान सूखाग्रस्त इलाकों में आबपाशी की तरफ नहीं है। सबसे ज्यादा परसण्टेज डेवलपमेण्ट के कामों में इस प्लान के अन्दर

[श्री सत्यपाल मलिक]

रखा गया है, एग्रीकल्चर के लिए रखा गया है, इरीगेशन के लिए रखा गया है ।

श्री सत्यपाल मलिक : मैं करेक्ट कर दूं माननीय मंत्री जी को । अंग्रेज जब गये थे तो टोटल रकबा 17 सैकड़ा सिंचाई का था जो अब सिर्फ 22 सैकड़ा है । इस पर मैं बहस करने के लिए तैयार हूं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : दूसरी बात उन्होने फेमिन कोड के बारे में कही । वाकई यह बहुत पुराना है । स्टेट्स लागू करती हैं फेमिन कोड को मुख्तलिफ हालत के अन्दर । मैंने पीछे रेवेन्यू मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उनसे इस बात पर सलाह मशविरा किया था । हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सारे देश में एक यूनिफार्म फैमिन कोड हो । स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद हम उसमें तरमीम करना चाहते हैं । इसकी तरफ हमारा ध्यान है ।

बाकी सूखे के लिए क्या कुछ किया जा सकता है । बाढ़ के लिए तो हमारी पेशीनगोई मैट्रोलाजीकल आफिस करता है, वक्तन-फवक्तन, लेकिन कई मर्तबा उनकी पेशीनगोई ठीक होती है और इसी तरह से बाज वक्त ठीक नहीं होती है । बारिश जहां पड़नी नहीं होती है वहां पड़ जाती है और . . .

उपसभाध्यक्ष डा० रफीक जाकरीया) : जहां वे कहते हैं कि नहीं पड़ने वाली है वहां बारिश पड़ जाती है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : . . .और बाढ़ आ जाती है । कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा एडवांस्ड कण्ट्री भी इसके लिए यह नहीं कह सकता है कि उन्होंने बाढ़ और सूखे के ऊपर कण्ट्रोल कर लिया है । तरक्की-याफ्ता मुल्कों में भी सूखा है । फ्रांस और इंग्लैंड के अन्दर जमीन सूख गई, फसलें सूख गई । रूस में और चीन में, कितना ही वहां की सरकारें पैसा खर्च कर चुकी हैं और बहुत दावे करते हैं कि हमने तमाम हालत पर काबू पा लिया है लेकिन वहां भी बरबादी होती है और बहुत कुछ उन्हें अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है आस्ट्रेलिया में भी पड़ता है, अमरीका में भी पड़ता है । कोई सा ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर सूखा नहीं पड़ता है । यह तो कुदरत के हालात हैं । इसके ऊपर सिर्फ इसी हद तक काबू पाया जा सकता है । कि जहां से भी पानी मुहैया किया जा सके जमीन के अन्दर से या पानी ले कर या दरियाओं का इस्तेमाल कर के आबपाशी को बढ़ाया जाए । सूखे पर काबू पाने के लिए यह एक तरीका है उसके लिए हम इन्तजाम करते हैं जब सूखा पड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा इमदाद हम स्टेट्स को करने की कोशिश करते हैं ।

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH (Nominated): Mr. Vice-Chairman, I have read the statement on drought by the Minister with interest and, as he has stated, he has tried briefly to cover the whole country. Now I would like to confine myself to that part of the statement on drought in Tamil Nadu, and I have three questions. Firstly, as he knows, and certainly as the Minister of State knows, the most urgent drought problem of Tiamil Nadu is to save the present *Kuni' vai* crop—the major part of which is grown in two districts—and only 50 per cent of the hectarage has been covered because of the drought. Now even that 50 per cent is ' going to wither away unless some 36 TMC feet of water is made available for these two lakh hectares of *Kuruvai* crop, and this has to come from Karnataka. Now the Karnataka Government and the Tamil Nadu Government have negotiated and the Karnataka Government has given 22 TMC feet today. Now I would say to the Minister that the Central Government can ask Karnataka to give Tamil Nadu more, the 36 **TMC**

feet, immediately to save the *Kuruvai* crop. The whole of south will be affected if the *kuruvai* crop fails. So, this is the first aspect of drought I would call the attention of the Minister too. I think he knows it and it should be met.

The second aspect is, as his statement about Tamil Nadu says, it is correct in the sense that the figures given by the Meteorological Department before I left Madras today are there. The announcement was made today that 14 out of the 15 districts, not 11, are now drought stricken and when the Minister receives the report from the Government, he will know it. Unfortunately, the Tamil Nadu Government, like last year, also is one of the last Governments to send the details with its report.

RAO BIRENDRA SINGH: There will be rains from October to December in Tamil Nadu. It has rained recently.

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH. That is the hope. I am coming to that. The second point is, what is called, the north-east monsoon from the middle of October to the middle of December is the only hope of saving the second crop. But, even that will not save the area which is not covered by the north-east monsoon and I want to tell the Minister that really the greater part of the drought-affected areas need a special NREP programme in order to provide employment for the starving landless labourers.

Thirdly, I would call attention to the request made by the Tamil Nadu Government for providing special rice for tiding over the problem in the next four months which is a very difficult period. I think they asked for eight lakh tonnes for the four-month period in order to tide over that. These are my three questions.

One question of mine on the hon. Minister's statement is about the enhanced procurement price—nobody has referred *to* it. I must say that Rs. 122 per quintal which is announced will not cover—I am speaking here as an economist and not as a politician—the cost of cultivation in Tamil Nadu. Now I would say that last year the Central Government was very strict with the Karnataka Government and some other Governments which were trying to give a bonus over and above the agreed Central price. But there is a certain problem in that in certain local areas, in certain States like Tamil Nadu, the price announced—the Central price—does not cover the cost of cultivation and I think that this should be taken into account when you come to deal with State Governments giving some extra money for covering the cost. Sir, these are the four questions that I have put.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Sir, it is true that in the Thanjavur district in Tamil Nadu, the *kuruvai* crop is affected. There are four lakhs of acres to be cultivated. Unfortunately, because of the failure of the monsoon and also because Cauvery water was not available, they have cultivated only two lakhs of acres. But that also was withering. Fortunately, there was good rain all over India saving the crops. This has helped save the *kuru-vai* crop. The Chief Minister, Karnataka Government has agreed to release some more water to Cauvery and that also will help to save the *kuruvai* crop. So far as Tamil Nadu is concerned, October is the month of monsoon. This month and the next month we are going to get good monsoon. We pray to the Almighty for good monsoon. Regarding the price of Rs. 122, this is a matter of opinion.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Do not leave everything to the Almighty.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Rs. 122 price has been fixed on the recommendation of the APC. They have also studied all the aspects. The hon. Member mentioned that this is not adequate. But they say that it is adequate. Opinions differ. This has been fixed after the Cabinet had agreed with the proposal of the APC. Therefore, I hope the hon. Member would be satisfied with this.

श्री लाड्ली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । आपके बयान के मुताबिक

[श्री लाडली मोहन निगम]

करीब-करीब 187 जिले हिन्दुस्तान के जो आपने कहा है, सूखे में हैं । लेकिन उस छोटी तालिका में आपने उन राज्यों का ब्यौरा नहीं दिया जिनका अनेक्सर में आपने जिक्र किया है । मध्य प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको, कितने जिलों को, अकाल ग्रस्त और सूखा ग्रस्त घोषित करने के लिए सरकार ने आवदन किया है, अगर इसमें यह कह देते तो शायद सफाई हो जाती । मेरी सूचना के हिसाब से मध्य प्रदेश के बारे में जो आंकड़े यहां पर दिये गये हैं वे उस मेमोरेंडम के मुकाबले में नहीं हैं जो कि मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिये हैं । यह हो सकता है कि जो उन लोगों ने अब भेजा है वह ज्यादा सही होगा पहले वाली सूचना शायद उनके पास उस वक्त में नहीं पहुंची होगी । मैं एक चीज इस पर जानना चाहता हूं । आपने जैसा कहा है कि यह सूखा और बाढ़ हमेशा की चीज बन गई है और इसी को मद्देनजर रखते हुए उस जमाने को फिरंगी हुकूमत ने कोई कानून बनाया था । आपने खुद तस्लीम किया था कि आप एक नया कानून बनाना चाहते हैं । तो कौन सी वजह है कि यह मामला जो हर साल उठता है, सदन में भी उठता है, आपके सामने भी उठता है, क्यों नहीं एक पूर्ण कानून आप इस सदन में ले आते हैं ताकि हमेशा इन चीजों पर बहस न हो सके । कोई वक्त हो तत्काल उसके हिसाब से उसके अंदाज से मिल जाना चाहिए । अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि 187 जिले आपने अपने स्टेटमेंट में कहे हैं और मुश्किल से अपनी जो प्रधान मंत्री जी ने दक्षिणा दान दी है वह करीब-करीब 79 लाख की है । यह जले पर नमक छिड़कना है किसी गरीब आदमी पर । इससे अच्छा तो आप यह भी नहीं देते । इससे व प्रभावित होते हैं जो रोज मजदूरी करते हैं । आपको मालूम है कि...

(**व्यवधान**) वही मैं कह रहा हूं राहत कार्यों में तो दिया है । आपने इसमें जो आंकड़ा दिया है वह उनमें जोड़ लिया है जो राज्य सरकारें अपने यहां योजना के तहत पैसा आगे आने वाले विकास पर खर्च करने वाली हैं । इन दोनों चीजों को आप अगर जोड़ेंगे तब तो कहेंगे सरकार बहुत कर रही है । तो मैं इतना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अगर इसमें यह बता देती कि उन राज्यों का जिन्होंने हमसे सूखा जहां पड़ा है, वह जहां बाढ़ से तबाही हुई है, वह और आपके मध्य प्रदेश की तो बड़ी विचित्र हालत है, वह सूखे से तो तबाह था ही फिर एकदम से पानी आ गया तो आपने कहा कि वहां 17 जिले पानी में डूब गये, इनके लिए इतना दिया गया है तो सफाई हो जाती ।

अब दूसरा सवाल पैदा हो गया कि एक तरफ यह और दूसरी तरफ वही मध्य प्रदेश की सरकार आपसे यह भी निवेदन करती है कि उनके पास पानी पिलाने के लिए गांवों में साधन नहीं हैं । तो यह जो परस्पर विरोधी वक्तव्य हैं इनसे कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सकता । इसलिए मैं दो चीजें जानना चाहता हूं, आज अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर से इस पर बयान दे दीजिए । एक, देश की किन-किन राज्य सरकारों ने आपको क्या क्या मेमोरेंडम दिये हैं, क्या-क्या आवेदन किया है और वे केन्द्र से कितनी राशि की तवक्को करते है, क्या उम्मीद करते हैं और केन्द्र सरकार कितना दे सकती है । तो फिर यह मामला कहीं बहस के लायक हो सकता है वरना नहीं हो सकता है । तो अब तक आप उनको जिन लोगों ने जितनी मांग की है कितना प्रतिशत किस राज्य को दे रहे हैं..

(**व्यवधान**)

श्री श्रीधर वासुदेव धाबे : कितना दिया है ।

श्री लाडली मोहन निगम : वही तो मैं कह रहा हूं । आप इतना भी आंकड़ा भी नहीं बता रहे हैं कि आपने कितना राज्यों को दिया है । कितनी उनकी मांग है और उनकी मांग का कितना प्रतिशत दे रहे हैं । मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूंगा अगर आप मध्य प्रदेश का आंकड़ा दे दें जो सबसे पिछड़ा सूबा है और दोनों से पीड़ित हैं । सबसे ज्यादा पलायन आबादी का वहीं से होता है । इस वास्ते मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या प्रतिशत निर्धारित किया है, राज्यों को जब आप अनुदान दे रहे हो इस मामले में तो आप का क्राइटेरिया क्या है । इसका कोई उल्लेख इसमें नहीं है । मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं कि आपका आधार क्या है अनुदान देने का और जो सरकारें मांगती हैं । आपने कह दिया कि सरकार बढ़ा-चढ़ा कर मांगती हैं । मतलब साफ है कि आप उन की इच्छा के अनुरूप नहीं देते । तभी उन्हें यह कदम उठाना पड़ता होगा । केन्द्रीय सरकार जितना मौजूं समझती है, इतना तो आप बता सकते हैं और इस प्रकार मध्य प्रदेश को कितना पैसा अलाट किया अगर बता दें तो मुझे बहुत खुशी होगी ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मध्य प्रदेश का मेमोरेंडम जेरे गौर है और अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ । बाकी जिन स्टेट्स से मेमोरेंडम आए और जहां सेण्ट्रल टीम गई है उनके विषय में अभी फैसला नहीं हुआ, जैसा मैंने पहले अर्ज कर दिया । महाराष्ट्र में टीम गई है । 20 सितम्बर, को उत्तर प्रदेश और बिहार टीम हो कर आई है । उड़ीसा 16–17 सितम्बर को टीम विज़िट करके आई है । जहां से टीम असेसमेंट ले कर आई है उस पर जब तक फैसला हाई लेवल कमेटी का, फाइनेन्स मिनिस्ट्री का नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं नहीं कह सकता कि हम कितनी सहायता दे रहे हैं ।

श्री लाडली मोहन निगम : मैं आप की मजबूरी समझता हूं । लेकिन आपका खुद का फार्मूला होगा जिसके आधार पर आप केन्द्र सरकार के वित्त विभाग के पास जाते होंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इसके लिए अलग मद हैं । कुछ ऐसी मदें जिन पर ग्राण्ट्स दी जाती हैं, जैसे कि पीने का पानी है, चारा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है — उसमें सबसिडी दी जाती है । कटिल कैम्प्स खोलने के लिए रकम दी जाती है । बीमारी आदि की रोकथाम के लिए सेण्ट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा देती है । और दूसरे काम हैं जैसे कर्जा दिया जाता है बीज के लिए, खाद के लिए शार्ट टर्म लोन्स, वह सेण्ट्रल गवर्नमेंट देती है । 113 करोड़ से ऊपर रुपया हमने तकसीम किया खरीफ के लिए ।

श्री लाडली मोहन निगम : यह तो आप हमेशा देते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : हालात को देख कर इसका बढ़ाते और घटाते हैं । हमेशा देने वाली बात नहीं है । सूखा और फ्लड उसमें निगाह में रखा जाता है ।

श्री लाडली मोहन निगम : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो सालाना अनुदान देते हैं उसको क्यों जोड़ देते हैं । आप वित्त मंत्रालय से कहिए, हम आपके साथ खड़े हो कर लड़ेंगे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप बात कर चुके, मेरी सुन लीजिए । मार्जिन मनी हर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है

[राव बीरेन्द्र सिंह]

जो सेविन्थ फाइनेंन्स कमीशन ने मुकर्रर की है और नेचुरल केलेमिटी होती है तो जो रुपया स्टेट गवर्नमेंट के पास हो उससे रिलीफ का काम शुरू कर सकती हैं। केलेमिटी बहुत भारी हो और उस रुपये से काम नहीं चलता तो मैं कई बार बता चुका हूं कि बाढ़ के सिलसिले में 75 परसेंट तक जो रिलीफ दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वह भारत सरकार की होती है, 25 फीसदी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। सूखे के तरीके दूसरे हैं, उन के नाम दूसरे हैं। कुछ चीजों पर नान-प्लान एसिस्टेंस होती है ग्राण्ट के तौर पर। कुछ चीजों के लिए एडवांस प्लान एसिस्टेंस होती है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से जो 80 लाख रुपया दिया गया उस को आप ने कम बता दिया, लेकिन जो 15 करोड़ और 10 करोड़ उड़ीसा में और यू० पी० में दिया उस का आपने जिक्र नहीं किया। यह एडवांस प्लान एसिस्टेंस है। जब फैसला हो जायेगा कि इस में कितनी नान-प्लान एसिस्टेंस होगी, कितनी प्लान एसिस्टेंस होगी उस वक्त कोई चीज बतलाई जा सकती है। मैंने जनरल इनफारमेशन हाउस के सामने रखी है। एक-एक चीज सामने रख कर बहस के लिए मैं नहीं आया हूं, कोई मेरा रिजोल्युशन नहीं है।

श्री विट्ठल माधवराव जाधव : (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अपने पूरे देश में बहुत जगह सूखा पड़ा है। महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है जिस में बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा है। परसों चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई थी। हमने जब स्टेटमेंट सुना तो मंत्री महोदय के इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद उससे हमें कुछ ज्ञात नहीं हुआ। आज महाराष्ट्र में कितने पैमाने पर सूखा पड़ा है, सिर्फ 13 जिलों में सूखा है ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन सच बात यह है कि महाराष्ट्र 14 लाख हेक्टेयर भूमि में सोइंग नहीं हुआ, और बारिश भी नहीं हुई। 29 लाख हैक्टेयर जमीन में सोइंग हुई थी लेकिन दो तीन महीने बारिश न होने से वहां की पूरी क्राप चली गई। इस लिहाज से 8-10 दिन पहले वहां पर थोड़ी बहुत वारिश हुई। उसका मतलब यह नहीं होता है कि उससे किसानों की जो क्राप्स चली गई है उससे उसमें कोई फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद सूखा तो महाराष्ट्र में 1972 में भी आया था, सूखा होने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका बड़ी हिम्मत के साथ सामना किया। उन्होंने सुकण्ठणकर कमेटी अपाइंट की। मैं जानता हूं कि जकरीया साहब भी उस वक्त कैबिनेट में थे। वैस्टर्न घाट सह्याद्रि में 375 टी० एम० सी० पानी बारिश के द्वारा उपलब्ध हो सकता है। वहां अच्छे डैम्स बनाने के साइट्स हैं 238 टी० एम० सी० पानी हम जमा करके यूज कर सकते हैं। उससे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सूखा का बन्दोबस्त हो सकता है। 1972-73 में सुकण्ठणकर कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद भी, मैं महाराष्ट्र या केन्द्रीय शासन पर किसी प्रकार की टीका नहीं करना चाहता मगर उस वक्त कदम उठाये जाते, अगर इरिगेशन पोटेंशल जहां जहां भी था उसके लिए इरिगेशन डैम्स बनाते तो बड़े पैमाने पर हम सूखे का सामना कर सकते थे। जब सूखा पड़ता है उस वक्त इन बातों को सोचते हैं। कोई स्पैशल इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स समय पर नहीं चलाते। 1972 में 250 करोड़ रुपया सूखा में खर्च हुआ। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 131 करोड़ रुपये की डिमांड की है। केन्द्र सरकार ने बहुत कम पैसा हमें दिया है। इस लिहाज से सोचते हुए सूखे का जो मसला है उसके लिए कोई परमानेन्ट सोल्यूशन निकालना जरूरी है। परमानेन्ट सोल्यूशन निकालने

के लिए कोई प्लानिंग करते या कोई इरिगेशन की स्कीम्स या प्लान बनाते तो इस सूखे का सामना हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट होने के नाते, अग्रिकल्चरल प्रोफेसर होने के नाते मैं आपसे एक मिनट में अपनी बात कह कर खत्म करता हूं। जिस मुल्क में, जिस देश में कम बारिश होती है इजराइल का उदाहरण सामने है, उन्होंने पूरे इजराइल में जहां चार इंच बारिश होती है उन्होंने पूरी ज़मीन को इरिगेशन में ले लिया है। तो वह कैसे इरिगेशन में लाये हैं। उन्होंने इरिगेशन सिस्टम्स में ड्रिपट सिस्टम और स्प्रिंकलिंग सिस्टम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आफ वाटर करके उसका पूरा इस्तेमाल किया है। उसी तरह पानी का उपयोग किया जाए तो मैं समझता हूं कि हम अच्छी तरह से सूखे का मुकाबला कर सकेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पैसा आपसे मांगा है 131 करोड़ वह भी हमारे लिहाज से कम है, मगर केन्द्र सरकार ने अभी कोई क्लियरेंस उसको नहीं दी है। उन पैसों के बारे में भी मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब बातों के बारे में क्लेरिफिकेशन दें।

RAO BIRENDRA SINGH: I have nothing to add to the information I have already supplied to the House in respect of Maharashtra.

PAPERS LAID ON THE TABLE—contd.

Notifications of the Government of Assam

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): Sir, I beg to lay on the Table:—

I. A copy (in English and Hindi) of the Government of Assam Notification No. PLA. 906/82/125 dated 30th September 1982 under sub-seetion (2) of Section 2 of the Essential Services Maintenance (Assam) Act 1980. placed in Library. *See* No. LT-5416V82J

2. A copy (in English and Hindi) of the Government of Assam Notification No. PLA. 906/82/126 dated 30th September 1982 issued under Section 3(1) of the Essential Services Maintenance (Assam) Act 1980. [Placed in Library. *See* No. LT—5451/82.1

STATEMENTS BY MINISTERS—contd.

President's Medical Check-up at Houston (U.S.A.)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JJ. SHANKARANAND): Mr. Vice-Chairman, a panel of medical experts who recently examined the President, advised that the President requires specialised investigations to evaluate the condition of his coronary arteries and, if necessary, to undergo treatment immediately thereafter. The panel considered the Texas Heart Institute, Houston, USA, as the most appropriate Centre for this purpose. Government accordingly made necessary arrangements and the President left for Houston on 30th September 1982. Soon after arrival at Houston on lst October 1982 the President was admitted into the Texas Institute and investigations are in progress. The President is keeping well and is cheerful. I am sure the House will join me in wishing the President the best of health and safe return to India.

Loss of Insat-IA Spacecraft

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Mr. C.P.N. Singh.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ELECTRONICS, OCEAN DEVELOPMENT AND THE DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI C.P.N. SINGH): Sir, On 4th September, 1982 at about 1356 Hrs. (IST) the INSAT-IA spacecraft lost its orientation towards Earth following an abnormal drift around the North-South axis. This resulted in loss of normal telemetry signals. Emer-